न्यायालय:– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: लीलूराम सिहाग, आर.जे.एस.
नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या :: 387/2012
सी.आई.एस. संख्या :: 1898/2014
सी.एन.आर. नंबर :: RJBK08–000212–2012

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

(1) **मोहनराम** पुत्र देपालराम
(2) **ओमप्रकाश** पुत्र मोहनराम
(3) **मधुसुदन** पुत्र मोहनराम
(4) **हरिशंकर** पुत्र मोहनराम
समस्त निवासीगण जसरासर, नोखा पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर

–अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

1– विद्वान अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।
2– विद्वान अधिवक्ता श्री किशनगोपाल चितलंगी – अभियुक्तगण की ओर से।
3– विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रताप बिश्नोई – परिवादी की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 27.03.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.07.2012 को समय 03:00 पी.एम. पर परिवादी निरंजन पारीक ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना नोखा, बीकानेर में इस आशय की पेश की कि प्रार्थी के दादा स्व. देपालराम के नाम से पट्टाशुदा प्लॉट गाँव जसरासर के उतरादी तरफ ब्राह्मणों के मोहल्ले में स्थित है, जिसे जरिए रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 29.05.2009 को उसके भाई राजकमल व उसको उनके दादाजी ने दिया था। उक्त प्लॉट में बने सफे में उनका काफी सामान रखा हुआ है। मुल्जिमान हरिशंकर, ओमप्रकाश, व मोहनराम गुन्डा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नाजायज कब्जा करने व मरने मारने पर उतारू रहते हैं। दिनांक 08.06.2011 को भी इन लोगों ने उनके प्लॉट पर नाजायज कब्जा करने की कुचेष्ठा की, जिस पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर इन लोगों को पाबन्द करवाया। दिनांक 04.07.2012 को रात्रि 08:00 बजे वह अपना प्लॉट संभालने जसरासर गया तो उनके प्लॉट में बने सफे का ताला तोड़कर अंदर रखा सामान फावड़ा, तिरपाल, चौसंगी, दंताली, बाल्टी, टबड़ा, जेवड़े आदि सामान मोहनलाल, मधुसुदन, हरिशंकर, ओमप्रकाश व जगदीश प्लॉट पर नाजायज कब्जा करने की योजना में चोरी कर ले गए। यह चोरी मुल्जिमान ने दिनांक 20.06.2012 से दिनांक 04.07.2012 के बीच की थी। इस लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नोखा, बीकानेर के द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 362/2012 अंतर्गत धारा 448, 379 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण मोहनराम, ओमप्रकाश, हरिशंकर व मधुसुदन के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा

448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

2. अभियुक्तगण को धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.1 हीराराम, पी.ड.2 अशोक, पी.ड.3 रूपाराम, पी.ड.4 बुधराम, पी.ड.5 घनश्याम, पी.ड.6 जीवराज सिंह एवं पी.ड.7 निरंजन पारीक को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 हीराराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.2 अशोक कुमार के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.3 रूपाराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.4 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी.5 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी.6 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी.7 असल बही जिसकी प्रति प्रदर्श पी 7ए, प्रदर्श पी.8 पट्टा नक्शा जिसकी प्रति प्रदर्श पी 8ए, प्रदर्श पी.9 दूसरे पट्टे की असल रसीद जिसकी प्रति प्रदर्श पी 9ए, प्रदर्श पी.10 असल वसीयतनामा जिसकी प्रति प्रदर्श पी 10ए, प्रदर्श पी.11 दस्तावेज बैयनामा जिसकी प्रति प्रदर्श पी 11ए एवं प्रदर्श पी.12 पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बीकानेर का मुकदमा दर्ज करवाने बाबत् पत्र को प्रदर्शित करवाया गया।

नोट 1. – अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह निरंजन पारीक पी.डब्ल्यू 07 के मुख्य परीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति के सम्बन्ध में उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा पट्टा नक्शा प्रदर्श पी 08 को प्रदर्शित करवाने के सम्बन्ध में जो आपत्ति की गई है, इस संदर्भ में प्रदर्श पी 08 के अवलोकन से यह प्रकट है कि यह दस्तावेज मूल है और इसमें परिवादी निरंजन पारीक के दादा देपालराम द्वारा आबादी भूमि ग्राम जसरासर में जमीन लेने के आवेदन बाबत् जमीन का नक्शा होना प्रकट है। न्यायालय के मत में साक्ष्य विधि का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि किसी भी तथ्य को दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नक्शा पट्टा चूँकि मूल ही पेश किया गया है और परिवादी के दादा देपालराम की मृत्यु होने के कारण अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष साबित करने के लिए यह दस्तावेज सुसंगत होना भी प्रकट है, ऐसे में दस्तावेज के मूल होने पर एवं पक्षकारान के मध्य विवादगत प्रश्न के अवधारण के लिए दस्तावेज का सुसंगत होने के कारण अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई आपत्ति को अस्वीकार कर नक्शा पट्टा प्रदर्श पी 08 को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

नोट 2. – इसी प्रकार अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दस्तावेज प्रदर्श पी 12 प्रार्थी निरंजन पारीक द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बीकानेर को मुकदमा दर्ज करवाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रदर्शित करवाने के सम्बन्ध में की गई आपत्ति के सम्बन्ध में भी उभयपक्ष को सुना गया। चूँकि प्रार्थी निरंजन पारीक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थना पत्र मूल की प्रमाणित प्रतिलिपि है और यह दस्तावेज परिवादी निरंजन पारीक द्वारा घटना की सूचना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत् पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को घटना के तथ्यों से अवगत करवाना प्रकट हुआ है और इसके साथ–साथ परिवादी पक्ष ने इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने में विलम्ब के तथ्य बाबत् भी कारण स्पष्ट करना चाहा है, चूँकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थना पत्र मूल की प्रमाणित प्रति होने के कारण तथा यह दस्तावेज प्रार्थी/परिवादी निरंजन पारीक द्वारा ही प्रस्तुत करने के कारण प्रकरण से सुसंगत होना प्रकट है, इस कारण इस सम्बन्ध में भी अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई आपत्ति को अस्वीकार कर

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी 12 प्रार्थना पत्र बाबत् मुकदमा दर्ज करवाने को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात के रूप में रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

4. अभियुक्तगण को बयान मुल्जिम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने पर उन्होंने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं के निर्दोष होना बताया व साक्ष्य सफाई में किसी भी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए, लेकिन अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान दस्तावेज प्रदर्श डी.1 विक्रय पत्र की लिखा–पढ़ी, प्रदर्श डी.2 घनश्याम के पुलिस बयान एवं प्रदर्श डी.3 हालातमौका घटनास्थल को प्रदर्शित करवाया।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

> **"आया अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 20.06.2012 से दिनांक 04.07.2012 के मध्य किसी समय वाके परिवादी के प्लॉट/बाड़ा ब्राह्मणों का मोहल्ला, गाँव जसरासर में निर्माणशुदा सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के उपयोग में प्रवेश कर तथा बना रहकर गृह अतिचार कारित किया ?" यदि हां तो अभियुक्तगण की उचित सजा क्या होगी?"**

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हैं, अतः अभियुक्तगण को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया जावे, जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

7. न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा अग्रेषित तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 01 हीराराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि उसके मकान के सामने मोहनराम का बाड़ा है और वह वहाँ दुकान करता है तथा **पी.डब्ल्यू 02 अशोक** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि वादगत भूमि पर उसने कभी घनश्याम व उसके लड़के का कब्जा नहीं देखा। इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू 03 रूपाराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि उसके घर के सामने मोहनराम के बाड़ा में अन्य किसी व्यक्ति को काबिज नहीं देखा तथा गवाह **पी.डब्ल्यू 04 बुधराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि जसरासर गाँव में मोहनराम का बाड़ा है, जिसने उसे देपालराम से लिया था।

8. अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू 05 घनश्याम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि उसके मूल गाँव जसरासर के उत्तरी साईड में उसके पिता देपालराम के नाम से एक बाड़ा है, जिसका आधा बाड़ा देपालराम ने उसके भाई मोहनराम को दिया तथा मोहनराम ने अपने हिस्से का बाड़ा को घासीराम को बेच दिया। देपालराम ने उसके हिस्से में आई सम्पत्ति में से उसके बच्चों निरंजन व राजकमल के नाम से वसीयत करवा दी। दिनांक 20.06.2012 को निरंजन बाड़े को संभालकर गोदाम व खिड़क के ताले लगाकर आया और

दिनांक 04.07.2012 को निरंजन बाड़े गया तो गोदाम के ताले टूटे हुए थे। इधर–उधर पूछताछ की तो पता चला कि मोहनराम, मधुसुदन, हरिशंकर, ओमप्रकाश तथा जगदीश ने गोदाम के ताले तोड़े तथा झूठी दुकान खोली, जिसका ओलमा निरंजन ने उक्त सभी लोगों को दिया तो उन्होंने कहा कि वे लोग बाड़े में घुस गए, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 04 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श डी 01 लिखा–पढ़ी फर्जी है।

9. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू 06 जीवराज सिंह** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि दिनांक 17.07.2012 को परिवादी निरंजन पारीक द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 के आधार पर चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 06 दर्ज की तफ्तीश में उसने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 तैयार किया, जिस पर क्रमशः ए से बी व सी से डी परिवादी व गवाह तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। हालातमौका प्रदर्श पी 03 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान आरोपीगण मोहनराम, मधुसुदन, हरिशंकर, ओमप्रकाश के विरूद्ध जुर्म धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित मान पत्रावली थानाधिकारी को पेश की, जिन्होंने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

10. परिवादी **पी.डब्ल्यू 07 निरंजन पारीक** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि दिनांक 20.06.2012 से दिनांक 04.07.2012 के बीच चोरी की एक घटना हुई। इससे पूर्व वर्ष 2011 में उसके ताउजी मोहनलाल और उनके लड़कों मधुसुधन, हरिशंकर, ओमप्रकाश व जगदीश ने ग्राम जसरासर में स्थित उसके बाड़े की वसीयत उसके दादा देपालराम की मृत्यु के बाद उसके और उसके बड़े भाई राजकमल के नाम कर दी, जिस पर वर्ष 2011 में उपरोक्त मुल्जिमान ने अवैध निर्माण की कुचेष्टा की। दिनांक 20.06.2012 को वह गाँव जसरासर था, तब प्लॉट को संभालने गया तो उस प्लॉट में थडाबंद बनी थी, जिसके मेन गेट के ताले टूटे हुए थे। दिनांक 20.06.2012 को वह प्लॉट के मेन गेट और गोदाम के ताले लगाकर अन्दर कृषि सामान रखकर आया और दिनांक 04.07.2012 को जब प्लॉट संभालने गया तो मेन गेट और गोदाम के ताले टूटे हुए थे, तब पुनः गोदाम और मेन गेट के ताले लगाकर जब बाहर आया तो जसरासर गाँव के भूतपूर्व सरपंच श्यामसुन्दर ने बताया कि पाँचों मुल्जिमान ताले तोड़कर और कृषि सामान टवडा, जेवडे, बाल्टी आदि चोरी करके ले गए। उसी समय पाँचों मुल्जिमान वहाँ आए और उन्होंने स्वयं ने चोरी करना स्वीकार किया। दिनांक 17.07.2012 को एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका व हालातमौका प्रदर्श पी 04 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। असल बही प्रदर्श पी 07 एवं उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 7ए पत्रावली में संलग्न है। पट्टा नक्शा प्रदर्श पी 08 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 8ए, एक अन्य पट्टे की असल रसीद प्रदर्श पी 09 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 9ए, असल वसीयतनामा प्रदर्श पी 10 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 10ए, दस्तावेज बैयनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 11, जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 11ए, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बीकानेर में मुकदमा दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 12 शामिल पत्रावली है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 तथा चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी 06 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

11. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का अपनी बहस में यह तर्क रहा है कि परिवादी द्वारा तथाकथित घटना की ताईद किसी भी स्वतंत्र गवाहान ने नहीं की है। परिवादी निरंजन पारीक और उसके पिता घनश्याम के अलावा गवाह हीराराम, अशोक तथा रूपाराम पक्षद्रोही हुए हैं और बुधराम ने अपनी मुख्य परीक्षा के साथ–साथ अपनी प्रतिपरीक्षा में भी विवादित भूखण्ड आरोपी मोहनराम के कब्जा व आधिपत्य में होना स्पष्ट रूप से बताया है और गवाह मोहनराम पक्षद्रोही भी नहीं हुआ। परिवादी के बताए अनुसार प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी जसरासर का भूतपूर्व सरपंच श्यामसुन्दर पारीक को भी अनुसंधान अधिकारी ने गवाह सूची में नहीं रखा और ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से इस गवाह को परीक्षित करवाया है। अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष के आधार पर विवादित भूखण्ड पर मोहनराम का कब्जा होना और देपालराम द्वारा इस बाड़ा को मोहनराम को जरिए लिखा–पढ़ी विक्रय करना स्पष्ट रूप से माना है। परिवादी ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध यह प्रकरण बढ़ा–चढ़ाकर झूठा ही तथाकथित घटना के बाद विलम्ब से दर्ज करवाया है। अनुसंधान अधिकारी के कथनानुसार भी मामला सिविल प्रकृति का होना पाया है तथा पक्षकारान में भूखण्ड के विवाद बाबत् मामला पूर्व से ही सिविल न्यायालय में लम्बित है। गवाह निरंजन तथा घनश्याम ने अपने पुलिस बयान से बढ़ा–चढ़ाकर न्यायालय में कथन किए हैं। परिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में जान–बूझकर तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. "Rang Bahadur Singh V. State of U.P. reported in AIR 2000 SC 1209"
2. "AIR 1996 SC 2184 S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh"
3. "2011 AIR SCW 2281 K. P. Thimmappa Gowda v. State of Karnataka"
4. "AIR 1996 SC 2184 S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh"
5. "WLC (Raj), 2008 (4) 737 State of Rajasthan v. Raju @ Rajkumar"
6. "State of Punjab v. Sohan Singh, (2009) 6 SCC 444"
7. "Raja Ram Vs State of Rajasthan, (2005) 5 SCC 272"
8. "Jagan M. Seshadri Vs State of T.N., (2002) 9 SCC 639"
9. "Bhopal Chand Jain Vs State of Rajasthan, RCC, Oct, 1991 491"

12. जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी एवं अधिवक्ता परिवादी ने बहस के जवाब में तर्क दिया कि गवाह निरंजन पारीक तथा घनश्याम पारीक ने आरोपीगण द्वारा उनके प्लॉट का ताला तोड़कर और उनके गोदाम में से कृषि के उपकरण आदि चोरी कर ले जाना स्पष्ट रूप से बताया है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष में आरोपीगण द्वारा परिवादी के भूखण्ड में विधि–विरुद्ध रूप से प्रवेश कर अपराध कारित करना स्पष्ट रूप से माना है। पत्रावली में किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा घटना की ताईद नहीं करने से गवाह निरंजन पारीक तथा घनश्याम द्वारा किए गए सशपथ कथन को मात्र इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। समय अंतराल के कारण गवाहान के बयानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास आना सद्भाविक रूप से सम्भव है। अभियोजन पक्ष ने रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 29.05.2009 के द्वारा प्लॉट पर मुस्तगीस पक्ष का स्वामित्व होना स्पष्ट रूप से साबित किया है। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाने का भी समुचित कारण स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है। देपालराम द्वारा मोहनराम को जो बाड़ा विक्रय किया था, उसको मोहनराम ने घीसाराम को बेच दिया था और विवादित भूखण्ड पर मोहनराम का कभी मालिकाना हक और कब्जा नहीं रहा है। अभियोजन अधिकारी ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. "AIR 2012 SC 1979 Ramesh Harijan Vs State of U.P.,
2. "AIR 1988 SC 696 Appabhai & Anr. Vs. State of Gujarat"

13. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्षकारान द्वारा अपनी बहस में दिए गए तर्कों के संदर्भ में न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार से है कि हस्तगत प्रकरण में परिवादी निरंजन पारीक ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 के द्वारा अपना प्लॉट रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 29.05.2009 को अपने दादा स्वर्गीय देपालराम द्वारा प्राप्त होना और उस पर अपना कब्जा तथा मालिकाना हक बरकरार होना बताया है। आरोपीगण द्वारा दिनांक 20.06.2012 से दिनांक 04.07.2012 के बीच परिवादी के प्लॉट में बने गोदाम का ताला तोड़ना और कृषि उपकरण फावड़ा, तिरपाल आदि चोरी कर ले जाना प्रकट किया, इस प्रकार परिवादी की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के मालिकाना हक और पट्टाशुदा भूखण्ड में बने गोदाम का ताला तोड़कर सामान आदि चोरी करने का आरोप रहा है। चूँकि इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष में आरोपीगण द्वारा परिवादी की चल सम्पत्ति कृषि उपकरण फावड़ा, तिरपाल, चौसंगी आदि को कपटपूर्ण और बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी की हो, ऐसा कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना है।

14. इसी अनुक्रम में परिवादी निरंजन पारीक ने अपने सशपथ कथन में भी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की और प्रकट किया कि दिनांक 04.07.2012 को जब वह प्लॉट संभालने गया तो मेन गेट का ताला और गोदाम का ताला टूटा हुआ था तथा उसने पुनः गोदाम तथा मेन गेट के ताला लगाया और बाहर निकला तो उसे वहाँ पर जसरासर गाँव के भूतपूर्व सरपंच श्यामसुन्दर पारीक ने मिले, जिसने उसे बताया कि यह ताला तोड़ना और चोरी करने का काम जिसमें जेवड़ा, बाल्टी, टवड़ा कृषि सामान को पाँचों मुल्जिमान चोरी कर ले गए, इस प्रकार परिवादी के कथनानुसार वरवक्त घटना परिवादी निरंजन पारीक उपस्थित रहा हो, ऐसा गवाह के सशपथ कथन और लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 के आधार पर प्रकट नहीं है, लेकिन परिवादी ने अपने सशपथ कथन में जसरासर गाँव के भूतपूर्व सरपंच श्यामसुन्दर पारीक के बताए अनुसार तथा आरोपीगण द्वारा भी परिवादी के प्लॉट में घुसकर सामान चोरी करने का तथ्य स्वयं स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करना प्रकट किया है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"Rang Bahadur Singh V. State of U.P. reported in AIR 2000 SC 1209"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

The time–tested rule is that acquittal of a guilty person should be preferred to conviction of an innocent person. Unless the prosecution establishes the guilt of the accused beyond reasonable doubt a conviction cannot be passed on the accused. A criminal court cannot afford to deprive liberty of the appellants, lifelong liberty, without having at least a reasonable level of certainty that the appellants were the real culprits.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh AIR 1996 SC 2184"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

one of the cardinal rules of interpretation in such cases is that a penal statute must be strictly construed. The courts have, thus, to be watchful to see that emotions or sentiments are not allowed to influence their judgment, one way or the other and that they do not ignore the golden thread passing through criminal jurisprudence that an accused is presumed to be innocent till proved guilty and that the guilt of an accused must be established beyond a reasonable doubt. They must carefully assess the evidence and not allow either suspicion or surmise or conjectures to state the place of proof in their zeal to stamp out the evil from the society while at the same time not adopting the easy course of letting technicalities or minor discrepancies in the evidence result in acquitting an accused. They must critically analyses the evidence and decide the case in a realistic manner.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत "K.P. Thimmappa Gowda v. State of Karnataka 2011 AIR SCW 2281" में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

in criminal cases, the rule is that the accused is entitled to the benefit of doubt. If the court is of the opinion that on the evidence two views are reasonably possible, one that the appellant is guilty and the other that he is innocent, then the benefit of doubt goes in favour of the accused

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत "State of Punjab v. Sohan Singh, (2009) 6 SCC 444" में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

We may place on record that one Inderjit Singh was an independent witness. On the purported ground that he had been won over, he was not examined, in support of the fact no material was brought on record. On what basis the said finding of fact was arrived at is not known.... It is in that view of the matter the evidence of an independent witness was crucial.

15. न्यायालय के मत में साक्ष्य विधि का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि सर्वोत्तम साक्ष्य पेश होना चाहिए, तब इस सम्बन्ध में हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई चक्षुदर्शी साक्षी गवाह प्रकरण में परीक्षित ही नहीं हुआ, जिसने आरोपीगण को परिवादी के प्लॉट/बाड़ा के मेन गेट और गोदाम का ताला तोड़कर चोरी कर सामान ले जाते हुए देखा हो, लेकिन परिवादी निरंजन पारीक के कथनानुसार श्यामसुन्दर पारीक भूतपूर्व सरपंच, जसरासर द्वारा घटना का अभियुक्तगण द्वारा कारित करना प्रकट किया है और अभियोजन पक्ष की ओर से वरवक्त घटना मौका पर उपस्थित एवं चक्षुदर्शी साक्षी श्यामसुन्दर पारीक भूतपूर्व सरपंच, गाँव जसरासर को ना तो गवाह सूची में अनुसंधान अधिकारी द्वारा रखा गया और ना ही अभियोजन पक्ष द्वारा इस गवाह को न्यायालय में परीक्षित करवाया है, जिस कारण गवाह निरंजन पारीक द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 एवं गवाह के सशपथ कथन के आधार पर केवल मात्र सुनी–सुनाई साक्ष्य से ही एक प्रकार से आरोपीगण ने परिवादी के भूखण्ड का ताला तोड़कर गृह अतिचार किया हो, ऐसा तथ्य प्रकट हुआ है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत "S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh AIR 1996 SC 2184" में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

if any statement is mentioned first time in the court and the fact is not mentioned under police statement recorded under section 161 of the Code of Criminal Procedure, it may be afterthought

16. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि दस्तावेज प्रदर्श पी 05 में परिवादी ने गवाह श्यामसुन्दर पारीक मौका पर उपस्थित रहा हो और गवाह श्यामसुन्दर पारीक द्वारा ही उसे घटना बाबत् बताया, ऐसा कोई कथन ही नहीं किया और गवाह/परिवादी के पुलिस बयान धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अवलोकन से भी यह प्रकट है कि गवाह ने श्यामसुन्दर पारीक भूतपूर्व सरपंच, जसरासर द्वारा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का तथ्य बताने बाबत् कोई कथन नहीं किया है, इस प्रकार देखा जाए तो गवाह निरंजन पारीक ने अपने पुलिस बयान के अलावा अपने सशपथ कथन में तथ्यों को बढ़ा–चढ़ाकर ही प्रकट किया है।

17. परिवादी निरंजन पारीक द्वारा अपने सशपथ कथन में अपने दादा देपालराम द्वारा उनकी मृत्यु से पूर्व उस बाड़े की वसीयत उसके व उसके बड़े भाई राजकमल के नाम से करवाना बताया है। पत्रावली में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी 10 ए वसीयतनामा के अवलोकन से यह प्रकट है कि इसमें देपालराम उर्फ देपालाराम उर्फ देवपालराम द्वारा पृष्ठ संख्या 02 पर आसा–पासा का पट्टा अपने नाम से बना हुआ होना और दक्षिणी हिस्सा मुकिर द्वारा विक्रय किया हुआ होने के साथ–साथ उसमें घासीराम बोहरा का मकान बना हुआ होना और शेष बाड़ा की वसीयत अपने पोते राजकमल व निरंजन, पिसरान घनश्याम पारीक के हक में करना तथा ये दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 29.05.2009 को उप–पंजीयक (प्रथम) पंजीयन व मुद्रांक बीकानेर में पंजीकृत होना भी प्रकट हुआ है, इसी प्रकार दस्तावेज प्रदर्श पी 11 ए के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि इसमें दस्तावेज बैयनामा में निष्पादनकर्ता मोहनराम द्वारा 1,70,000/– रूपये में अपना बाड़ा/भूखण्ड 553.270 वर्गमीटर को घीसाराम को विक्रय करना तथा यह विक्रय पत्र दिनांक 21.03.2002 को उप–पंजीयक, नोखा में पंजीबद्ध होना भी प्रकट हुआ है। चूँकि दस्तावेज प्रदर्श पी 10 तथा प्रदर्श पी 11 के द्वारा वसीयतनामा एवं बैयनामा के आधार पर आबादी भूमि ग्राम जसरासर बास बिश्नोईयान तहसील नोखा में स्थित भूखण्ड के स्वामित्व के अंतरण से सम्बन्धित दस्तावेजात है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में न्यायालय को मात्र इस स्तर पर विवादित और परिवादी द्वारा प्रकट दस्तावेज प्रदर्श पी 05 लिखित रिपोर्ट में अंकित भूखण्ड के मालिकाना हक और स्वामित्व के प्रश्न का अवधारण नहीं करना है, बल्कि न्यायालय को मात्र परिवादी के कब्जाशुदा भूखण्ड/सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान में अभियुक्तगण द्वारा अवैध रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार करने के प्रश्न का ही अवधारण करना है।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह घनश्याम परिवादी के पिता ने भी परिवादी निरंजन पारीक द्वारा किए गए सशपथ कथन की पुनरावृत्ति अपने मुख्य परीक्षा में की है और घनश्याम पारीक ने विवादित बाड़े की वसीयत के पश्चात् देपालराम की मृत्यु के बाद अपना और अपने बच्चों के द्वारा बाड़ा की सार–सम्भाल करना बताया और आरोपीगण द्वारा गोदाम का ताला तोड़कर और उसमें झूठी दुकान खोल लेने का तथ्य प्रकट किया है और गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव से इनकार किया कि प्रदर्श डी 01 के द्वारा देपालराम ने वादगत भूखण्ड मोहनराम को दिनांक 07.08.1976 को जरिए लिखित विक्रय किया व कब्जा सुपुर्द किया था और इस सुझाव से भी इनकार

किया कि इस लिखित विक्रय के कारण सुरजाराम को 5,000/– रूपये दिए थे, जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर प्रदर्श डी 01 पर सुरजाराम के हैं। गवाह का यह भी कथन रहा है कि इस बाड़े में बिजली का कनेक्शन नहीं है और पानी के कनेक्शन के बारे में पता नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा नक्शामौका प्रदर्श पी 04 सही बनाना भी गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट बताया। उसने आँखों से गोदाम को ताले तोड़ते हुए नहीं देखा और मुल्जिमान ने स्वयं ने स्वीकार किया था कि उन्होंने ताले तोड़े हैं। गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसके भाई मोहनराम ने उस वसीयत को लेकर उसके व उसके पुत्रों पर पुलिस थाना बीछवाल, बीकानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट 183/2012 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवाई थी, फिर कहा कि उसमें पुलिस ने एफ.आर लगा दी है, इस प्रकार गवाह घनश्याम के कथनानुसार यदि देखा जाए तो गवाह ने अपने पिता देपालराम द्वारा जरिए वसीयत विवादित बाड़ा अपने पुत्र निरंजन व राजकमल के नाम से प्राप्त होना और उस पर अपना कब्जा व स्वामित्व होना प्रकट किया, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में इस विवादित बाड़ा के सम्बन्ध में आरोपी मोहनराम द्वारा भी गवाह घनश्याम और उसके पुत्र पर मुकदमा दर्ज होना भी स्पष्ट स्वीकार किया है। इस प्रकार परिवादी पक्ष तथा अभियुक्तगण के मध्य विवादित भूखण्ड के मालिकाना हक व स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद का होना गवाह घनश्याम की प्रतिपरीक्षा के आधार पर भी स्पष्ट प्रकट है।

19. इसी प्रकार गवाह निरंजन पारीक ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि नक्शामौका प्रदर्श पी 04 में स्थित भूखण्ड के सम्बन्ध में वसीयत प्रदर्श पी 10 ए को निरस्त करने का दावा मोहनराम व अन्य ने बीकानेर न्यायालय में किया, जो विचाराधीन है। निरंजन पारीक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट प्रकट किया कि उसके दादा ने उनके हक में कौनसे पट्टा नम्बर की सम्पत्ति वसीयत की, आज उसे पट्टों के नम्बर याद नहीं हैं। उन पट्टों का विवरण उस वसीयत में लिखा गया है तो उसे याद नहीं है। उसके दादा के द्वारा उसके हक में की गई वसीयत को इस समय तक उसने पढ़ा नहीं है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसके दादा देपालराम ने विवादित प्लॉट के दक्षिण दिशा में घासीराम को कोई प्लॉट बेचा या नहीं। प्रदर्श पी 10 ए के ए से बी भाग में लिखी बात गलत है या नहीं, उसे पता नहीं है। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने बेदखली का दावा निरंजन बनाम मोहनराम व अन्य पेश कर रखा है, जिसमें वह वादी है। परिवादी ने इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसके दादा देपालराम ने विवादित भूमि को 10,000/– रूपये में मोहनराम को विक्रय कर कब्जा मोहनराम व मधुसुदन को सुपुर्द कर दिया हो, जिसकी लिखा–पढ़ी प्रदर्श डी 1 ए है, फिर कहा कि यह लिखा–पढ़ी फर्जी है और उस पर हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श डी 01 के फर्जी होने के सम्बन्ध में उसने कोई आपराधिक कार्यवाही की या नहीं, उसे याद नहीं है। उसे प्रदर्श डी 01 के फर्जी होने का ज्ञान कब हुआ, उसे याद नहीं, फिर कहा कि अभी देखकर उसने जाना है कि प्रदर्श डी 01 फर्जी है। इस प्रकार परिवादी की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि परिवादी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा किए गए अधिकांश प्रश्न के उत्तर में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए पता नहीं होना बताया और यहाँ तक कि वसीयत को नहीं पढ़ना और प्रदर्श डी 1 ए के फर्जी होने के

ज्ञान बाबत् जो तथ्य प्रकट किए हैं, उससे यह भी स्पष्ट है कि गवाह ने अपने सशपथ कथन में उससे किए गए प्रश्न का सुसंगत उत्तर नहीं देकर जान–बूझकर सत्यता को छिपाया है।

20. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह हीराराम, अशोक तथा रूपाराम ने अपने सशपथ कथन में अपने मकान के सामने मोहनराम का बाड़ा होना और मोहनराम द्वारा ही वहाँ पर दुकान करना बताया है। गवाह हीराराम, अशोक तथा रूपाराम तीनों पक्षद्रोही हुए हैं और इन तीनों गवाहान ने भी एक प्रकार से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू 04 बुधराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में देपालराम व मोहनराम को अच्छी तरह से जानना तथा जसरासर गाँव में मोहनराम का बाड़ा होना जो मोहनराम द्वारा देपालराम से लेना प्रकट करते हुए गवाह ने इसकी लिखा–पढ़ी भी होना बताया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह बुधराम पक्षद्रोही भी नहीं हुआ और इस गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को स्वीकार किया कि वादगत भूखण्ड पर सन् 1976–77 से मोहनराम का कब्जा है और मोहनराम ने अपने खर्चा से एक सफानुमा दुकान, एक कमरा व थड़ाबंद करवाया है तथा बिजली–पानी का भी कनेक्शन है। दस्तावेज लिखा–पढ़ी प्रदर्श डी 01 उसकी कलमी है तथा उस पर गवाह ने अपने, रूपचन्द पुरोहित, देपालराम पारीक, सूरजमल व मोहनलाल के हस्ताक्षर होना बताया है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"Raja Ram Vs State of Rajasthan, (2005) 5 SCC 272"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

when prosecution witness is not supporting the prosecution case, but he is not declared hostile, the defence can rely upon the evidence of such witness and it would be binding on the prosecution.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"Jagan M. Seshadri Vs State of T.N., (2002) 9 SCC 639"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

when prosecution witness is not supporting the prosecution case, but he is not declared hostile, the defence can rely upon the evidence of such witness and it would be binding on the prosecution even though that witness (mother–in–law in this case) was related to the accused.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"Bhopal Chand Jain Vs State of Rajasthan, RCC, Oct, 1991 491"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

if a witness is not declared hostile the prosecutions is bound by his testimony.

21. गवाह बुधराम ने वादगत भूखण्ड देपालराम द्वारा मोहनराम को दिनांक 07.08.1976 को 10,000/– रूपये में विक्रय करना और इस भूखण्ड पर मोहनराम का कब्जा 1976 से होना तथा घनश्याम व देपालराम का 1976 से कोई कब्जा नहीं होना भी स्पष्ट बताया, इस प्रकार देखा जाए तो अभियोजन साक्षी बुधराम एक प्रकार से पक्षद्रोही भी नहीं हुआ और इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा के साथ–साथ अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श डी 01 लिखा–पढ़ी के आधार पर विवादित भूखण्ड देपालराम द्वारा मोहनराम को विक्रय करना और उस पर देपालराम के हस्ताक्षर के साथ–साथ गवाह ने यह लिखा–पढ़ी स्वयं

द्वारा करना भी बताया और इसके साथ–साथ इस भूखण्ड पर सन् 1976 से मोहनराम का कब्जा होना और उसमें मोहनराम द्वारा ही इसमें निर्माण कार्य आदि करवाना स्पष्ट बताया है। इस प्रकार गवाह बुधराम ने एक प्रकार से अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह घनश्याम एवं निरंजन पारीक द्वारा किए गए सशपथ कथनों की ताईद नहीं की और इस गवाह ने घनश्याम और निरंजन पारीक द्वारा किए गए सशपथ कथन का खण्डन भी स्पष्ट रूप से किया है, जो कि एक प्रकार से अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह घनश्याम एवं निरंजन पारीक द्वारा किए गए सशपथ कथन को संदेहास्पद ही बनाता है।

22. पत्रावली में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी जीवराज सिंह ए.एस.आई. ने अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित मानना बताया और अनुसंधान अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को स्वीकार किया कि जिस दिन एफ.आई.आर. होती है, उसी दिन उसने घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया और गवाहान से अनुसंधान कर नक्शामौका प्रदर्श पी 04 भी मुर्तिब किया था। गवाह जीवराज सिंह ए.एस.आई. ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि जब वह मौका पर गया, उस पर अभियुक्तगण का कब्जा था। नक्शामौका प्रदर्श पी 04 में मार्क–डी से दर्शाया स्थान थड़ाबन्द आरोपीगण का बनाया हुआ है और मार्क–सी से दर्शाया गया स्थान विद्युत मीटर आरोपीगण के नाम से होना पाया। उसके अनुसंधान में यह तथ्य आ गए थे कि देपालराम ने एक बाड़ा मोहनराम को लिखा–पढ़ी करके विक्रय किया, तब से उस बाड़े पर मोहनराम का ही कब्जा चला आ रहा है। उसके अनुसंधान में यह भी तथ्य आ गए थे कि यह मामला सिविल प्रकृति का है, जिसमें पूर्व से विवाद चल रहा था, इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में नक्शामौका प्रदर्श पी 04 मुर्तिब करने के समय आरोपीगण का कब्जा होना तथा विवादित भूखण्ड में विद्युत मीटर आरोपीगण के नाम से होने के साथ–साथ देपालराम द्वारा की गई लिखा–पढ़ी के आधार पर विक्रय करने के पश्चात् आरोपी मोहनराम का कब्जा होना स्पष्ट रूप से माना है।

23. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श पी 04 नक्शामौका के अवलोकन से यह प्रकट है कि इसमें मार्क–A स्थान पर अभियुक्तगण की परचून की दुकान, मार्क–B में मकान का थड़ाबन्द और मार्क–C पर बिजली का मीटर लगा हुआ होना प्रकट हुआ है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने सशपथ कथन में थड़ाबन्द मार्क–B आरोपीगण द्वारा बनाना और विद्युत मीटर आरोपीगण के नाम से होना तथा इस विवादित भूखण्ड पर देपालराम द्वारा लिखा–पढ़ी के आधार पर विक्रय के पश्चात् आरोपी मोहनराम का ही कब्जा होना स्पष्ट माना है, इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य प्रकट किए हैं और उसके आधार पर विवादित भूखण्ड अभियुक्तगण के कब्जा व आधिपत्य में नहीं रहा हो, ऐसा इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है।

24. चूँकि गवाह घनश्याम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बाड़ा में बिजली का कनेक्शन नहीं होना स्पष्ट बताया है और गवाह घनश्याम ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में नक्शामौका प्रदर्श पी 04 के समय अभियुक्तगण का दुकान में होना और मुल्जिमान द्वारा ही थड़ाबन्द अपने खर्चा से बनाना स्पष्ट बताया है। गवाह/परिवादी निरंजन पारीक ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में

अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि थड़ाबन्द मार्क–बी स्थान पर दर्शित है जो मुल्जिमान ने अपने खर्चे से बनाया था और इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि नक्शामौका प्रदर्श पी 04 पर सी स्थान पर आरोपीगण का बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो सही है, इस प्रकार परिवादी स्वयं द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में थड़ाबन्द बी स्थान एवं मार्क–सी पर बिजली का मीटर आरोपीगण का ही होना स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के कारण एक प्रकार से यह स्वतः साबित ही है कि विवादित भूखण्ड पर अभियुक्तगण का कब्जा व आधिपत्य ही रहा है, जिस कारण जब आरोपीगण के कब्जा व आधिपत्य में यह वादगत भूखण्ड रहा है, तब उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से इस बाड़ा में प्रवेश कर गृह अतिचार किया हो, ऐसा किसी भी स्तर पर न्यायोचित नहीं माना जा सकता है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"AIR 2012 SC 1979 Ramesh Harijan Vs State of U.P.** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

there may be some exaggeration in the evidence of the prosecution witnesses. However, it is the duty of the court to unravel the truth under all circumstances.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **AIR 1988 SC 696 Appabhai & Anr. Vs. State of Gujarat** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

wherein Hon'ble Apex Court has cautioned the courts below not to give undue importance to minor discrepancies which do not shake the basic version of the prosecution case. The court by calling into aid its vast experience of men and matters in different cases must evaluate the entire material on record by excluding the exaggerated version given by any witness for the reason that witnesses now–a–days go on adding embellishments to their version perhaps for the fear of their testimony being rejected by the court. However, the courts should not dis–believe the evidence of such witnesses altogether if they are otherwise trustworthy.

इसी प्रकार अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"AIR 1996 SC 2184 S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

The courts below appear to have allowed emotions and sentiments, rather than legally admissible and trustworthy evidence, to influence their judgment. The evidence on the record does not establish the case against the appellant beyond a reasonable doubt. He is, therefore, entitled to the benefit of doubt.

25. न्यायालय के मत में विधि शास्त्र का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि कब्जा स्वामित्व का अनुसरण करता है और हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा को स्वामित्व के प्रश्न का अवधारण इस प्रक्रम पर नहीं करना है, बल्कि विवादित भूखण्ड/बाड़ा के कब्जा व आधिपत्य के आधार पर आरोपीगण द्वारा गृह अतिचार के अपराध कारित करने के तथ्य के सम्बन्ध में ही पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण का आपराधिक कृत्य में संलिप्त होने के प्रश्न का अवधारण करना है, लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में किए गए सशपथ कथन तथा गवाह बुधराम द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान किए गए कथनानुसार उपरोक्त सम्मानित न्यायिक दृष्टांतों के

परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा वादगत बाड़ा में प्रवेश कर गृह अतिचार किया हो, ऐसा अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी स्तर पर साबित नहीं है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"State of Rajasthan v. Raju @ Rajkumar WLC (Raj), 2008 (4) 737"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

when the prosecution is not able to prove his case under section 307 IPC beyond reasonable doubt. There is no reason to dissent from view to trial court. Cogent reasons given for acquittal are by the trial court. The views of trial court must be given due weight. Hon'ble Rajasthan High Court upheld the acquittal.

26. हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 20.06.2012 से दिनांक 04.07.2012 के मध्य किसी समय वाके परिवादी के प्लॉट/बाड़ा ब्राह्मणों का मोहल्ला, गाँव जसरासर में निर्माणशुदा सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के उपयोग में प्रवेश कर तथा बना रहकर गृह अतिचार कारित किया, अतः इस आधार पर अभियुक्तगण मोहनराम, ओमप्रकाश, मधुसुदन एवं हरिशंकर को अपराध अन्तर्गत धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: आदेश ::

27. फलतः अभियुक्तगण (1) **मोहनराम** पुत्र देपालराम, (2) **ओमप्रकाश** पुत्र मोहनराम, (3) **मधुसुदन** पुत्र मोहनराम एवं (4) **हरिशंकर** पुत्र मोहनराम समस्त निवासीगण जसरासर, नोखा पुलिस थाना नोखा जिला बीकानेर को **धारा 448 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत अपराध के आरोप में संदेह के आधार पर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)

28. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)